

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3791] No. 3791] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 25, 2018/आश्विन 3, 1940

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 25, 2018/ASVINA 3, 1940

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2018

का.आ. 4966(अ).—पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 22 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, इस विचार में कि ऐसा किया जाना जनहित में आवश्यक और व्यावहारिक है, एतद्द्वारा उन पासपोर्ट धारकों, जिनके पासपोर्ट केरल राज्य में अगस्त, 2018 में आई बाढ़ के कारण नष्ट हो गए हैं अथवा खो गए हैं, को उक्त अधिनियम की धारा 5 में निर्दिष्ट और इसके साथ सहपठित पासपोर्ट नियम, 1980 के नियम 8 के अंतर्गत निम्नलिखित दशाओं में, पासपोर्ट शुल्क जमा किए जाने में छुट प्रदान करती है, अर्थात:—

- (1) पासपोर्ट शुल्क जमा किए जाने में इस प्रकार की छूट केरल राज्य के केवल उन पासपोर्ट धारकों के मामले में लागू होगी जिनके पासपोर्ट बाढ़ में नष्ट अथवा खो गए हों;
- (2) इस प्रकार की छूट का लाभ चाहने वाले सभी आवेदकों को पासपोर्ट की दूसरी प्रति, उनके पिछले पासपोर्ट में दर्ज विवरण सहित शेष वैधता अविध तक के लिए, जारी की जाएगी;
- (3) इस प्रकार की छूट इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीन माह की अवधि तक के लिए प्रभावी रहेगी।

[फा सं VI/401/1/9/2018]

अरूण कुमार चटर्जी, संयुक्त सचिव (पी.एस.पी.) एवं मुख्य पासपोर्ट अधिकारी

5623 GI/2018 (1)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 20th September, 2018

- **S.O. 4966(E).**—In exercise of the powers conferred by section 22 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government, being of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest so to do hereby exempts the passport holders, whose passport got damaged or lost due to flood in the State of Kerala in August, 2018, from payment of passport fee specified under section 5 of the said Act, read with rule 8 of the Passports Rules, 1980 subject to the following conditions, namely:—
 - (a) such exemption in payment of passport fee shall be applicable only to such passport holders of Kerala whose passport has been damaged or lost in the flood;
 - (b) duplicate passport shall be issued to all the applicants desirous of availing such exemption with the same particulars as in their previous passport and for the remaining period of validity;
 - (c) such exemption shall remain in force for a period of three months from the date of publication of this notification.

[F. No. VI/401/1/9/2018]

ARUN KUMAR CHATTERJEE, Jt. Secy. (PSP) & Chief Passport Office